फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 66 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2019	(नीचे देखें)	

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी हनुमान राम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना तहसील जायल जिला नागौर ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाघसरा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में नया खाता खंख्या 469 पुराना खाता संख्या 194 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हड़मानाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार वादी का नाम हनुमान राम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना है। वादी का नाम हनुमान राम पुत्र रूपाराम किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमा बन्दी सम्वत् 2076–2079 में वादी का नाम हड़मानाराम पुत्र. रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वादी का सही नाम हनुमान राम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमा बन्दी सम्वत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 469 पुराना खाता संख्या 194 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अ[illegible] प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	बाघसरा	469/194	हड़मानाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना	हनुमान राम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खाबडियाना

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-8/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2019.11.21 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested